आरती - III yr.

"प्रधानमंत्री जन धन योजना"

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 Aug 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारम्भ किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर को 'वित्तीय छुआछूत से गरीबों की आजादी का पर्व' करार दिया। देश में व्याप्त वित्तीय अस्पृश्यता असमानता को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुवात की गई। इस योजना के तहत देश के सभी परिवारों को बैंक खाते से जोड़ना है। यह योजना देश के तमाम लोगों को सक्षम करने वाला बैंकिंग अभियान है। योजना से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार हैं:- (1) प्रत्येक परिवार में एक बैंक खाते के साथ खाता धारक को उसे बैंकिंग तंत्र से जोड़ना है। (2) इस खाते के साथ खाताधारकों को एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा युक्त रुपे डेबिट कार्ड की सुविधा दी गई। (3) 26 Jan 2015 तक सर्वप्रथम बैंक खाता खुलवाने वाले को एक लाख दुर्घटना बीमा के साथ ही 30,000 का जीवन बीमा मुफ्त। 28 अगस्त 2018 के बाद खाता खुलवाने वालों के लिए निःशुल्क बीमा राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई। जबकि बीमा योजना के लिए आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई। (4) जिनका खाता नहीं खुला है वह कोई भी जन धन योजना खाता खुलवा सकता है। (5) छः महीने खाता संचालन के बाद Rs 5,000/- के Overdraft की सुविधा बढ़ाकर Rs 10,000/- कर दिया गया है। (6) 13 May 2020 की स्थिति के अनुसार इस योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 38.57 करोड़ थी, जिसमें से 30.61 करोड़ लाभार्थियों के खाते सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में, 6.66 करोड़ ग्रामीण बैंकों में तथा 1.25 करोड़ के खाते निजी बैंकों में थे। इन खातों में कुल Rs. 1.35884 करोड़ की धनराशि जमा थी। 29 करोड़ लाभार्थियों को रुपे डेबिट कार्ड जारी किये जा चुके थे। (7) 53% खाताधारक महिला हैं। (8) 83% खाते आधार कार्ड से सम्बद्ध हैं। (9) भारत सरकार की यह योजना गरीबों के लिए लाभकारी है।

7/06/21

प्रो० राघवेन्द्र
स्नो०प्रा० - अर्थशास्त्र
A.H.S. College
Sukhsena, Purnea.

शास्त्री - IInd yr

भारत में मुद्रा आपूर्ति के माप
(Money Stock Measures in India)

योजना काल में कीमतों की वृद्धि के साथ-साथ मुद्रा की मात्रा में भी निरंतर वृद्धि हुई है। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की दर विभिन्न समयावधियों में भिन्न-भिन्न रही है, परन्तु मुद्रा पूर्ति के विभिन्न अंशों अथवा संघटकों में भी वृद्धि एकसमान नहीं हुई है। डॉ. Y.V. Reddy की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी दल ने मुद्रा आपूर्ति के संकेतकों (M_1, M_2, M_3 आदि) में व्यापक परिवर्तन करने की सिफारिश की थी। देश में लागू की गई वित्तीय नीतियों के परिप्रेक्ष्य में मौद्रिक संकलन के विश्लेषणात्मक पहलुओं पर पुनर्विचार के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा इस कार्यदल का गठन दिसम्बर 1997 में किया गया था। 23 June 1998 को इसने अपनी सिफारिशें रिज़र्व बैंक को सौंप दी थीं। वित्तीय प्रणाली के संबंध में व्यापक जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस दल ने तरलता के नये मापकों को अपनाने का सुझाव दिया। इनमें चार मौद्रिक सूचकों (M_0, M_1, M_2, M_3) व तीन तरल सूचकों (L_1, L_2, L_3) के अतिरिक्त पूरी अर्थव्यवस्था के वित्तीय सर्वेक्षण में आकलन करने को कहा गया है।

मुद्रा आपूर्ति के वर्तमान सूचक

M_1 = जनता के पास मुद्रा (करेंसी नोट व सिक्के) + बैंकों की माँग जमा (Demand Deposit with Banks) + रिज़र्व बैंक के पास अन्य जमाएं (Other Deposit with RBI)

M_2 — M_1 + डाकघरों के पास बचत बैंक जमाएं (Savings Bank Deposits with Post-office.)

M_3 — M_1 + बैंक की सावधि जमाएं

M_4 — M_3 + डाकघर की समग्र जमाएं।

7/06/21

Reader in Eco.
R.K.S. College Sikhdiam